न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 32/2022(2022/81)

अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा। वादी

बनाम

1. भगतराम पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. मदनलाल पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
3. अनिता पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी गुंजासरी हाल नि0 कुंजी त0 भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजेश बेनीवाल वादी
श्री अर्जुन बेनीवाल प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांकः 13/04/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गुंजासरी के खाता सं. 74/39 के खसरा नं. 14/2 की 0.6330 हैक्टर, खसरा नं. 16/1 की 3.5550 हैक्टर, खसरा नं. 23 की 4.5030 हैक्टर, खसरा सं. 3/1 की 2.4540 हैक्टर कुल 11.1450 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 431/2229 हिस्सा खातेदारी दर्ज है एवं करनपुरा बारानी के खाता सं. 356/185 के खसरा नं. 460/1 की 0.6800 हैक्टर, खसरा नं. 461 की 3.7050 हैक्टर कुल 4.3850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा की खातेदारी हुआ करती थी, जिनके देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी सं. 01 भगतराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भगतराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण 02 व 03 की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादी सं. 01 ता 03 का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भगतराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 भगतराम को वादी के दादा से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबंदी खतौनी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ)

गुंजासरी सम्वत 2049 व जमाबंदी खतौनी करनपुरा बारानी सम्वत 2042 से साफ रोशन है, इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 03 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हिस्सा तर्क कर अपना हक व हिस्सा शून्य कर लिया है। जो राजीनामा में स्वीकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामचन्द्र पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र पेश कर बयान व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा गुंजासरी के खाता सं. 74/39 के खसरा नं. 14/2 की 0.6330 हैक्टर, खसरा नं. 16/1 की 3.5550 हैक्टर, खसरा नं. 23 की 4.5030 हैक्टर, खसरा सं. 3/1 की 2.4540 हैक्टर कुल 11.1450 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 431/2229 हिस्सा खातेदारी दर्ज है एवं करनपुरा बारानी के खाता सं. 356/185 के खसरा नं. 460/1 की 0.6800 हैक्टर, खसरा नं. 461 की 3.7050 हैक्टर कुल 4.3850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना सावित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसमें प्रतिवादियां सं. 03 ने अपना हक वादी एवं प्रतिवादी सं. 02 के हिस्से में त्याग कर शून्य कर लिया, जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गुंजासरी के खाता सं. 74/39 के खसरा नं. 14/2 की 0.6330 हैक्टर, खसरा नं. 16/1 की 3.5550 हैक्टर, खसरा नं. 23 की 4.5030 हैक्टर, खसरा सं.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

3/1 की 2.4540 हैक्टर कुल 11.1450 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 431/2229 हिस्सा खातेदारी दर्ज है एवं करनपुरा बारानी के खाता सं. 356/185 के खसरा नं. 460/1 की 0.6800 हैक्टर, खसरा नं. 461 की 3.7050 हैक्टर कुल 4.3850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी रामचन्द्र 3/8 व प्रतिवादी संख्या 2 मदनलाल 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 01 भगतराम 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....13/04/22.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० — 32/2022(2022/81)

अनवान : —

1. रामचन्द्र पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा। वादी

बनाम

1. भगतराम पुत्र श्री हरीराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
2. मदनलाल पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी गुंजासरी तहसील भादरा।
3. अनिता पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी गुंजासरी हाल नि० कुंजी त० भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार भादरा। प्रतिवादीगण
5.

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बेनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री अर्जुन बेनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गुंजासरी के खाता सं. 74/39 के खसरा नं. 14/2 की 0.6330 हैक्टर, खसरा नं. 16/1 की 3.5550 हैक्टर, खसरा नं. 23 की 4.5030 हैक्टर, खसरा सं. 3/1 की 2.4540 हैक्टर कुल 11.1450 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 431/2229 हिस्सा खातेदारी दर्ज है एवं करनपुरा बारानी के खाता सं. 356/185 के खसरा नं. 460/1 की 0.6800 हैक्टर, खसरा नं. 461 की 3.7050 हैक्टर कुल 4.3850 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 01 भगतराम के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी रामचन्द्र 3/8 व प्रतिवादी संख्या 2 मदनलाल 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 01 भगतराम 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/04/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़